महत्वपूर्ण एवं खास

मदनपुर-केराकछार में धान व मूंगफली की फसलों को हाथियों के दल ने रौंदा

कोरबा (आरएनएस)। वनमंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज के कक्ष क्रमांक 1139 में विगत दो दिनों से डेरा डालकर ग्रामीणों व वन अमले को परेशान करने वाले 39 हाथियों का दल अब पसरखेत, केराकछार, छिंदकोना होते हुए कोरकोमा जंगल पहुंच गया है। हाथियों के दल ने यहां पहुंचने से पहले रास्ते में मदनपुर व केराकछार में 9 ग्रामीणों के खेतों व बाड़ी में लगे धान व मूंगफली के पौधों को तहस-नहस कर दिया जिससे संबंधित ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों को हाथियों के क्षेत्र में आने तथा फसल रौंदे जाने की जानकारी आज सुबह तब लगी जब वे फसल को देखने खेतों में पहुंचे तो उसे तहस-नहस पाया। खेतों में हाथियों के पैरों के निशान थे, उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि हाथियों ने उनकी मेहनतों पर पानी फेर दिया है। पीडित ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी जिस पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आज सुबह मौके पर पहुंचकर हाथियों द्वारा किए गए नुकसानी का आंकलन शुरू कर दिए हैं। डिप्टी रेंजर केशरवानी ने बताया कि वर्तमान में हाथियों का दल कोरकोमा जंगल में विचरण कर रहा है जिसकी निगरानी अमले द्वारा लगातार की जा रही है। कोरकोमा व आसपास के गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। उन्हें बड़ी संख्या में हाथियों के क्षेत्र में आने की सूचना देते हुए हाथियों तथा जंगल से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अंधड़-तूफान के आसार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में लोगों को दिन के वक्त गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि, शाम होते-होते मौसम करवट ले रहा है और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बदल गरजने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. साथ ही एक-दो स्थानों पर बदल गरजने के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना है. इसके अलावा अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर लगातार रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिनों में छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है. वहीं अगले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन साथ बिजली गिरने की गतिविधि जारी रहने की संभावना है. फिलहाल प्रदेश में मौसम सिस्टम की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तर-पूर्व ईरान और उससे लगे अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय है, जो लगभग 3.1 किलोमीटर से लेकर 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. इसके साथ ही एक द्रोणिका दक्षिण पंजाब से झारखंड तक लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है. वहीं, दूसरी द्रोणिका उत्तर मध्य महाराष्ट्र से मन्नार की खाड़ी तक सक्रिय है, जो करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।

गांजा तस्कर गिरफ्तार, एक लाख का मादक पदार्थ जब्त

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। साइबर टीम जांजगीर/थाना शिवरीनारायण पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। शिवरीनारायण थाना से मिली जानकारी के अनुसार अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना शिवरीनारायण/सायबर टीम को मुखबीर से सूचना मिली कि तुस्मा का हरीश साहू मोटर सायकल बजाज पल्सर में एक बोरी में पेट्रोल टंकी के ऊपर रखकर अवैध गांजा लेकर तुस्मा कि ओर आने वाला है. सूचना पर तत्काल रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से 05 किलो 122 ग्राम गांजा कीमती 100000/रुपये एवं परिवहन में उपयोग किये बजाज मोटर सायकल और एक मोबाइल को बरामद किया. आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/25 धारा 20 (बी), एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

सुशासन तिहार: अब समाधान की हो रही होम डिलीवरी

- गांवों में आधार कार्ड बनाने पहुंच रही टीम
- घर पहुंचाकर कृषक देवेंद्र सिदार को दी गयी किसान किताब की प्रति
- घर बैठे ही आवेदकों को बनकर मिला जॉब कार्ड
- आवेदकों ने कहा- जनसमस्याओं के निराकरण की यह एक सार्थक पहल

रायगढ़

सुशासन तिहार में समाधान के होम डिलीवरी का सिलसिला जारी है। विभागों द्वारा लोगों से मिले आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के अंतर्गत आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार के लिए मिले आवेदनों को निराकृत करने विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। टीम गांवों में पहुंचकर आवेदनों का निराकरण कर रही है। वहीं किसान किताब के आवेदन पर कृषक को उसके घर जाकर प्रति सौंपी गई। मनरेगा के जॉब कार्ड के लिए आवेदकों को घर बैठे ही जॉब कार्ड बना कर दिया गया।

हर ब्लॉक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर आज तीन तीन जगहों पर कैंप लगाकर लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के लिए टीमें पहुंची। ग्राम पंचायत दर्रामुड़ा के निवासी अनुज कुमार निषाद के बेटे गौरव निषाद के आधार कार्ड में कुछ जानकारी सुधारनी थी। इस त्रुटि के चलते स्कूली छात्र गौरव का अपार आईडी नहीं बन पा रहा था। पिता अनुज निषाद ने सुशासन तिहार में बेटे के आधार कार्ड की जानकारी सुधारने का आवेदन दिया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए उनके बेटे के आधार कार्ड को सुधारने की प्रक्रिया की गयी। इसी प्रकार कई अन्य आवेदकों द्वारा उनके बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया गया था। उस पर भी प्रक्रियात्मक कार्यवाही की गयी।

कृषक को घर पर डिलीवर हुआ किसान किताब की द्वितीय प्रति, मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

ग्राम-कांटाहरदी निवासी देवेन्द्र सिदार ने किसान किताब की द्वितीय प्रति हेतु सुशासन तिहार के अंतर्गत आवेदन किया था। जिला प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को उनके निवास पर भेजा गया। गांव के पटवारी ने दस्तावेजों की जांच करते हुए पंजीकृत रजिस्ट्री से मिलान किया, जिसमें जानकारी सही पाए जाने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात देवेन्द्र सिदार को किसान किताब की द्वितीय प्रति प्रदान की गई। उन्होंने इस त्वरित समाधान पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया और सुशासन तिहार की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल शासन की संवेदनशीलता और पारदर्शिता का प्रतीक है, जिससे आम जनता का विश्वास प्रशासन पर और भी दृढ़ हुआ है।

घर बैठे मिला जॉब कार्ड

सुशासन तिहार की जानकारी गांव तक पहुंची तो डूमरपाली निवासी दिव्या साहू ने भी नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन दिया। उनके आवेदन को निराकृत करने रोजगार सहायक खुद उनके घर पहुंचे और औपचारिकता पूरी करके नया जॉब कार्ड उन्हें हाथों-हाथ सौंपा। जॉब कार्ड हाथों में आते ही दिव्या ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार ऐसा लगा कि शासन की योजनाएं हमारे दरवाजे तक आयी है। बिना चक्कर लगाए, बिनी किसी परेशानी के मुझे मेरे आवेदन का समाधान मिल गया है। इस तरह छोटे मुड़पार निवासी जानकी कुमारी पटैल एवं कुमारी भावना महंत मनरेगा कार्ड के लिए आवेदन लगाया था। उनके आवेदनों पर जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र निराकरण करते हुए उन्हें उनके घर पर जाकर मनरेगा कार्ड सौंपा गया।

"सुशासन तिहार" के तहत धरमजयगढ़ पुलिस का जन चौपाल, टीआई ने ग्रामीणों को अपराधों से सतर्क रहने की दी समझाइश

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले भर में "सुशासन तिहार" के मद्देनजर पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा आमजन से संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याएं जानने, निराकरण करने और अपराधों के प्रति जागरूक करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 19 अप्रैल को धरमजयगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा ग्राम पंचायत खड़गांव में "पुलिस जन चौपाल" का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे।

टीआई कमला पुसाम ने जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों को बढ़ते साइबर अपराध, नाबालिगों से संबंधित अपराधों और टोनही प्रताड़ना जैसे संवेदनशील मामलों पर विशेष जागरूकता दी गई। इसके साथ ही "वृक्ष बचाओ" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का महत्व समझाया गया। चौपाल में यह भी बताया गया कि गांव में समय-समय पर कुछ घुमंतू लोग सोना-चांदी चमकाने के बहाने ठगी कर चले जाते हैं या फेरी के बहाने संदिग्ध लोग गांव में घुसते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जानकारी तुरंत थाना को देने की अपील की गई।

ग्रामीणों को विश्वास दिलाया गया कि अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

धरमजयगढ़ थाना की इस पहल ने न केवल ग्रामीणों को कानून और सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि "पुलिस आपके द्वार" की भावना को भी सशक्त किया है। चौपाल में खुले संवाद और स्थानीय मुद्दों पर पुलिस की सक्रियता को ग्रामीणों ने सराहा और सहयोग का आश्वासन दिया।

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाई: दो अपचारी बालकों को किया गया निरूद्ध

- वन्यप्राणी गोह के अवैध शिकार का मामला

रायगढ़

धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के बायसी परिसर में 18 अप्रैल 2025 को वन्यप्राणी गोह का अवैध शिकार करने के मामले में वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। जिसमें दो अपचारी बालकों को निरूद्ध कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वन भ्रमण के दौरान बायसी परिसर कक्ष कमांक 369 आर.एफ.लांजानारा के पास दो व्यक्तियों द्वारा वन्यप्राणी गोह (Bengal Monitor lizard) वैज्ञानिक नाम (Veranus bengalensis) जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची। का वन्यप्राणी है, को मारकर साल झाड़ की टहनियों एवं पत्तो में छिपाकर ले जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूछताछ करने पर अपचारी बालको के द्वारा साकिन क्रोन्धा थाना तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ का निवासी होना बताया गया। मौके पर ही उन्हे पूछताछ करने पर गोह को टांगी से मारकर खाने के लिये घर ले जा रहे है, बताया गया एवं अवैध शिकार कर गोह को मारने का जुर्म कबुल किया गया। तत्पश्चात वन अपराध प्रकरण क्रमांक 19976/13 दिनांक 18 अप्रैल 2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों व्यक्ति से मृत गोह, टांगी एवं साल प्रजाति के टहनियां एवं पत्तीयां जप्त की गई। वन्यप्राणी गोह का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक धरमजयगढ़ द्वारा वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा पंथों की उपस्थिति में किया गया एवं उनके उपस्थिति में विधिवत दाह संस्कार किया गया। दिनांक 18 अप्रैल एवं 19 अप्रैल 2025 को दोनो से घटना के संबंध में फिर से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया एवं बयान में उनके द्वारा 06 माह पूर्व में भी एक गोह को मारकर खाना बताया गया। उनके बयान आधार पर दिनांक 19 अप्रैल 2025 को प्रकरण में लिप्त दोनो अपचारी बालको को निरुद्ध कर मेडिकल जांच हेतु खंड चिकित्साधिकारी सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ भेजा गया। मेडिकल जांच उपरांत उक्त दोनों अपचारी बालकों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष विधिवत् प्रस्तुत किया गया। दोनों अपचारी बालकों को माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक बाल सम्प्रेक्षण गृह रायगढ़ भेजा गया। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।

तमनार पुलिस की बड़ी कार्यवाई: पालीघाट में वाहन चेकिंग दौरान सात भारी वाहनों से अवैध आयरन पत्थर जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशों के तहत जिले में सघन गश्त और निगरानी के दौरान तमनार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात भारी वाहनों से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे आयरन पत्थर को जब्त किया है। 16 अप्रैल की रात थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पालीघाट चेकिंग पाइंट पर यह कार्रवाई की गई, जहां बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करते भारी वाहनों को रंगेहाथ पकड़ा गया।

पुलिस ने आयरन ओरे से लदे सात ट्रकों को जब्त कर वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 106(1) बीएनएसएस के अंतर्गत सभी वाहन चालकों पर पृथक-पृथक इस्तगासा की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, विपिन पटेल और आरक्षक भूपेश राठिया की अहम भूमिका रही।

पकड़े गए वाहन चालक और वाहन इस प्रकार हैं:

1. नणेशन पी.के. (57 वर्ष), निवासी पैतन दुराई, तमिलनाडु, वाहन क्रमांक TN 88 J 5699
2. राजू (43 वर्ष), निवासी वाड़पड़ी, तमिलनाडु, वाहन क्रमांक TN 28 BA 6717
3. सुरेश (38 वर्ष), निवासी कलागुरची, तमिलनाडु, वाहन क्रमांक TN 88 L 1899
4. संजीत सिंह (38 वर्ष), निवासी राउरकेला, ओडिशा, वाहन क्रमांक OD 14 AF 3484
5. मधुसूदन साव (35 वर्ष), निवासी सरत पटना, ओडिशा, वाहन क्रमांक OD 14 AC 4061
6. अमेरिकन यादव (38 वर्ष), निवासी बड़खा राजपुर, बिहार, वाहन क्रमांक OD 14 T 6129
7. बलदेव राय (36 वर्ष), निवासी कटसा, बिहार, वाहन क्रमांक OD 14 Z 9046

जिले में खनिजों के अवैध परिवहन, तस्करी और खनन गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए पुलिस की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

जूटमिल पुलिस की हैट्रिक कार्रवाई, एक सप्ताह में तीसरी लापता नाबालिग बालिका को सकुशल किया दस्तयाब

- आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर जिले में नाबालिग बालिकाओं के अपहरण व गुमशुदगी के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जूटमिल पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर तीसरी बार लापता नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में संचालित इस मुहिम ने बालिका सुरक्षा को लेकर जिले में भरोसे का माहौल बनाया है।

ताजा मामला 20 फरवरी का है, जब एक नाबालिग बालिका बिना बताए घर से लापता हो गई थी। 27 फरवरी को बालिका के परिजनों ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान परिजनों और सहेलियों से मिली जानकारी से यह स्पष्ट हुआ कि भूपदेवपुर थाना क्षेत्र निवासी नितेष कुमार पटेल (25 वर्ष) ने बालिका को बहला-फुसलाकर भगाया है। आरोपी भी अपने घर से फरार था, जिस पर मुखबिर तैनात किए गए।

सूचना मिलते ही कि आरोपी पूंजीपथरा क्षेत्र में किसी प्लांट में काम की तलाश में आया है, जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर ने टीम गठित कर तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर लापता बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया। बालिका के कथन और मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(ड) बीएनएस तथा 6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। आरोपी का मेडिकल कराकर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

जूटमिल पुलिस द्वारा लगातार तीसरी बार बालिका की सकुशल बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी न सिर्फ पुलिस की तत्परता का प्रमाण है, बल्कि बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और हर शिकायत पर त्वरित, सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ की त्वरित कार्यवाई, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

रायगढ़

महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क महिला थाना रायगढ़ ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना की शिकायत पीड़िता ने 18 अप्रैल को दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोपी विकास महिलाने (27 वर्ष) पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

पीड़िता के अनुसार, जनवरी 2022 से आरोपी उसे विवाह का प्रलोभन देकर संबंध बना रहा था। इस दौरान वह छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता और धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर करता रहा। हद तब हो गई जब बीते 30 मार्च को आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटकर घर से निकाल दिया। अंततः पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर महिला थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।

थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर के नेतृत्व में महिला थाना टीम ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 115(2), 351(2), 69 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई की। विकास महिलाने को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में एएसआई सरस्वती महापात्रे, हेड कांस्टेबल राजेश उरांव और संदीप भगत की भूमिका भी सराहनीय रही। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी नहीं बरती जाएगी और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी।

छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़-एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटरिंग में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है।

आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है। एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोडने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480